न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 77/2026 बउनवानी विशाल प्रजापत **बनाम** तहसीलदार सवाईमाधोपुर
निवासी ठींगला वार्ड नम्बर 1 सवाईमाधोपुर

GCMS No-2026/ 159 **Appeal Number- 321649950280439**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
20.5.2026		

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 16.3.2026 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर" ***खसरा 172 के संबंध मे कुल 10 बिन्दुओ की प्रमाणित सूचना*** " तहसीलदार सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1) के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक/आरटीआई/प्र.अ./2026/57 दिनांक 12.5.2026 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 16.3.2026 मे खसरा 172 के संबंध में वर्तमान नक्शा रिपोर्ट, नोट शीट, नक्शा बदलने के सबंध में पुरानी प्रतियॉ एसएसओं आईडी ,आईपी, एड्रेस नक्शा शीट में बदलने की प्रतिया, कानूनी नोटिस मौका मुआवना मे पडौसी के हस्ताक्षर, क्या भूमि गोचर भूमि के सबंध में प्रश्नात्मक, काल्पनिक सूचना चाही गयी है, जिसके संबंध मे अपीलान्ट को ऑन लाईन क्रमांक 6664408902 दिनांक 7.4.2026 से अवगत कराया जा चुका है कि सूचना सृजित करना,सूचनाओं की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गयी समस्या का समाधान करना तथा काल्पनिक प्रश्नो का उत्तर दिया जाना इस अधिनियम के तहत अपेक्षित नही है। इसके अतिरिक्त चाही सूचना राजस्व ग्रुप–6 विभाग राज0 सरकार की अधिसूचना दिनांक 30.5.2023 के तहत राजस्थान भू. राजस्व (भू.अ.) नियम,1957 के नियम 28 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड से संबंधित हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया District Manual and Revenue Court Manual के तहत नकल का प्रावधान होने के कारण उक्त सूचना नकल आवेदन पत्र से प्राप्त करे।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 16.3.2026 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने, प्रश्नात्मक होने से अपीलान्ट को दिया जाना आवश्यक नही है। उक्त सूचना District Manual and Revenue Court Manual के तहत नकल का प्रावधान होने के कारण अपीलान्ट वांछित सूचना का पूर्ण विवरण अंकित करते हुए नकल आवेदन पत्र से प्राप्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है किन्तु तहसीलदार सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि चाही गयी सूचना के लिए अपीलान्ट द्वारा नकल आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner